न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर (सीकर)

मनोज बनाम सुनिल कुमार वगै.

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज
	दावा मु. नं. - 9/2019
27.09.2021	पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उपस्थित। वकील वादी ने अन्य पक्षकारान् प्रतिवादीगण की ओर से वादी के पक्ष में राजीनामा पेश कर दिये जाने से आज ही बहस सुने जाने का निवेदन किया गया। वकील वादी के निवेदन पर प्रकरण में बहस वकील वादी एवं पक्षीय सुनी गई। वास्ते अंतिम निर्णय/आदेश पत्रावली दिनांक 20.10.2021 को प्रशासन गांवों के संग अभियान-2021 के तहत ग्राम पंचायत- कल्याणपुरा में पेश हो। 27/09/21 (दिलीप सिंह) उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर) दिलीप सिंह उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर
20.10.2021	पत्रावली आज प्रशासन गांवों के संग अभियान-2021 के तहत आयोजित शिविर ग्राम पंचायत- कल्याणपुरा में वास्ते निर्णय/आदेश हेतु पेश हुई। प्रकरण में मेरे द्वारा निर्णय पृथक् से लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। निर्णय अनुसार वकील वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र स्वीकार किया जाकर अंतिम रूप से डिक्री किया जाता है। इसी अनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। 20/10/21 (दिलीप सिंह) उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर) दिलीप सिंह उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2021.10.26 17:55:20 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान
कैम्पः— कल्याणपुरा, पं.स. श्रीमाधोपुर
पीठासीन अधिकारी — श्री दिलीप सिंह (RAS)

प्रकरण संख्या	जीसीएमएस	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
09 / 2019	2019 / 028	28.01.2019	20.10.2021

उनवान

1. मनोज कुमार पुत्र स्व0 बनवारी लाल उर्फ कालूराम उम्र—39 साल जाति ब्राह्मण निवासी कंचनपुर तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर।

वादी

बनाम

1. सुनिल कुमार पुत्र स्व0 बनवारी लाल उर्फ कालूराम उम्र—36 साल
2. मुन्नी देवी पत्नि स्व0 बनवारी लाल उर्फ कालूराम उम्र—58 साल
3. रेखा उर्फ रंजना पुत्री स्व0 बनवारी लाल उर्फ कालूराम उम्र—41 साल समस्त जाति ब्राह्मण निवासीगण कचंनपुर तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर
4. भूमिधारी तहसीलदार श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0

प्रतिवादीगण

उपस्थित—

श्री अनिल यादव, वादी अभिभाषक।
श्री लोकेन्द्र सिंह शेखावत, प्रतिवादीगण नं. 1 से 3 अभिभाषक
सरकारी पैरोकार तहसीलदार श्रीमाधोपुर प्रतिवादी नं. 4 अभिभाषक

वादपत्र बाबत घोषणा एंव दुरूस्ती रिकार्ड अंतर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

उपखण्ड अधिकारी (सीकर) सत्यमेव जयते

—:: निर्णय ::—

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि वादी ने एक वाद खिलाफ प्रतिवादीगण के इस आशय से प्रस्तुत कि[illegible]राजीयात काश्तकारी भूमि अवस्थित तन् ग्राम जसवन्तपुरा [illegible] तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर के कृषि भूमि खसरा नम्बर 224, 225, [illegible] कुल किता 4 कुल रकवा 4.06 हैक्टर के वर्तमान राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी अनुस[illegible] 1/24 हिस्सा की खातेदारी वादी

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2021.10.26 17:55:20 IST
Reason: SelfAttested

20/10/21
दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

व प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के पिता–पति स्वर्गीय कालूराम पुत्र मुरलीधर के नाम दर्ज रिकार्ड है। वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 आपस में एक ही परिवार से है। जो सजरा खानदान अनुसार एक ही परिवार से होना प्रकट है। सजरा खानदान अनुसार वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 मृत्तक कालूराम उर्फ बनवारीलाल पुत्र मुरलीधर के वारिसान उत्तराधिकारी है तथा कृषि भूमि में मृत्तक कालूराम पुत्र मुरलीधर के नाम दर्ज हिस्सा 1/24 की भूमि पर वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 बहिस्सा बराबर–बराबर काबिज काश्त चले आ रहे है। वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के पिता को घर पर कालूराम एंव बनवारीलाल दोनों नामों से पुकारते थें। कृषि भूमि की खातेदारी में उसका नाम कालूराम पुत्र मुरलीधर अंकित हो गया जबकि अन्य दस्तावेजात में बनवारीलाल पुत्र मुरलीधर अंकित हो गया। वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के दस्तावेजात मतदाता पहचान पत्र, भामाशाह, परिवार राशन कार्ड, स्कूल रिकार्ड एंव आधार कार्ड आदि में बनवारी लाल अंकित हो गया। जिसके कारण विरासत का नामान्तकरण दर्ज नहीं हो सका। सरपंच एंव ग्राम सेवक पदेन सचिव, ग्राम पंचायत कंचनपुर द्वारा दिनांक 11.01.2019 को बनवारीलाल उर्फ कालूराम पुत्र मुरलीधर जाति ब्राह्मण निवासी कंचनपुर का निवासी होकर उपरोक्त दोनों नामो से जाना पहिचाने जाने तथा दोनों नाम एक ही व्यक्ति के होने बाबत प्रमाण पत्र जारी किया गया है। उक्त वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 224, 225, 226, 227 कुल किता 4 कुल रकबा 4.06 हैक्टर तन् ग्राम जसवन्तपुरा तहसील श्रीमाधोपुर में वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के पिता–पति मृत्तक कालूराम पुत्र मुरलीधर के नाम दर्ज खातेदारी हिस्सा 1/24 का वादी व प्रतिवादी सं. 1 ता 3 को बहिस्सा बराबर–बराबर खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर खातेदारी राजस्व रिकार्ड में वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के नाम दर्ज किये जाने बाबत उक्त दावा बाबत घोषणा एंव दुरूस्ती रिकार्ड बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।

इस पर वादी के वाद को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। श्री लोकेन्द्र सिंह शेखावत एड0 ने उपस्थित होकर प्रतिवादीगण नं. 2 ता 3 की ओर से वादीगण के पक्ष में दिनांक 19.06.2019 को राजीनामा पेश कर तस्दीक कराया एंव प्रतिवादी नं. 1 ... से इकबालिया जवाब दावा पेश किया है। प्रतिवादी सं. 4 के हाजिर अदालत नहीं आने पर इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। ... वादी मनोज कुमार का व वादी

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2021.10.26 17:55:20 IST
Reason: SelfAttested

20/10/21
दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर) सत्यमेव जयते

गवाहान् में पंकज कुमार, सावॅरमल, प्रभूदयाल के लिखितशुदा शपथ पत्र किये गये। प्रकरण में अंकित तथ्यों के सम्बन्ध में तहसीलदार श्रीमाधोपुर से तथ्यात्मक जॉच रिपोर्ट चाही गई। तहसीलदार श्रीमाधोपुर से जॉच रिपोर्ट प्राप्त हुई। जॉच रिपोर्ट स्पष्ट प्राप्त नहीं होने पर पुनः स्पष्ट जॉच रिपोर्ट चाही गई। जिसकी पालना में जरिये पत्रांक 2267/भू.अ./2020 दिनांक 06.10.2020 के द्वारा तथ्यात्मक जॉच रिपोर्ट प्राप्त हुई। जो शामिल पत्रावली है। प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 2 से 3 के द्वारा वादीगण के पक्ष में राजीनामा व प्रतिवादी सं. 1 के द्वारा इकबाली जवाब दावा पेश कर दिये जाने एंव तहसीलदार श्रीमाधोपुर से वस्तुस्थिति की तथ्यात्मक जॉच रिपोर्ट प्राप्त हो जाने से प्रकरण में आज ही बहस सुने जाने का निवेदन वादी अभिभाषक के द्वारा किया गया है।

हमनें वादी अभिभाषक की बहस सुनी। पत्रावली का अवलोकन किया तथा वादी अभिभाषक द्वारा की गई बहस पर मनन किया। पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों एवं राजस्व रिकॉर्ड अंतिम चौसाला आधार जमाबंदी सम्वत् 2074–2077 के अनुसार वादग्रस्त भूमियॉ कालूराम पुत्र मुरलीधर के नाम दर्ज रिकॉर्ड है। वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 आपस में एक ही परिवार से है तथा उक्त वादग्रस्त भूमियॉ पक्षकारान् की पैतृक भूमियॉ होना सिद्ध होता है। तहसीलदार श्रीमाधोपुर ने भी अपनी रिपोर्ट में वार्ड पंच, सरंपच व पटवारी हल्का कंचनपुर की जॉच रिपोर्ट अनुसार मृत्तक कालूराम को बनवारी लाल के नाम से जानने तथा कालूराम व बनवारी दोनों व्यक्ति पृथक–पृथक न होकर एक ही व्यक्ति के दो नाम होना अंकित किया है। नामान्तकरण संख्या 117 दिनांक 01.05.1975 के द्वारा मुरलीधर पुत्र शिवनारायण की विरासत दर्ज हुई जिसमें कालूराम पुत्र मुरलीधर ही दर्ज किया जाना अवगत कराया गया है। प्रस्तुत दस्तावेज साक्ष्य से यह प्रतीत होता है कि पक्षकारान अपने मध्य हुए राजीनामा अनुसार अपने–अपने हक हिस्से में दर्ज खातेदारी भूमियों की घोषणा करवाने के अधिकारी है। जिसके लिए प्रतिवादीगण ने वादी के पक्ष में राजीनामा भी न्यायालय में पेश कर तस्दीक कराया है एंव साक्ष्य वादी में भी गवाहान ने वादपत्र में अंकित तथ्यों की पुष्टि करते हुए गवाहान् के द्वारा शपथ पत्र पेश किया गया है।

अतः ऐसी स्थिति में वादी ... आराजीयात काश्तकारी भूमि खसरा नम्बर 224, 225, 226, 227 कुल किता 4 कुल रकबा 4.06 हैक्टर तन् ग्राम जसवन्तपुरा तहसील श्रीमाधोपुर में वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 के पिता–पति मृत्तक

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2021.10.26 17:55:20 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)
सत्यमेव जयते

Sd/- 26/10/21
दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

कालूराम पुत्र मुरलीधर के नाम दर्ज खातेदारी हिस्सा 1/24 का वादी व प्रतिवादी सं. 1 ता 3 को बहिस्सा बराबर–बराबर खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर खातेदारी राजस्व रिकार्ड में वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के नाम दर्ज किये जाने बाबत वादपत्र को स्वीकार किया जाकर डिकी किया जाना न्यायोचित प्रतित होता है।

–:: क्रियात्मक आदेश ::–

अतः उपयुर्क्त विश्लेषण से वादी का वाद बाबत घोषणा व दुरूस्ती रिकार्ड को स्वीकार किया जाता है तथा कृषि भूमि खसरा नम्बर 224, 225, 226, 227 कुल किता 4 कुल रकबा 4.06 हैक्टर अवस्थित तन् ग्राम ,जसवंतपुरा पटवार हल्का कचंनपुर तहसील श्रीमाधोपुर के 1/24 हिस्सा का वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा उक्त हिस्से से वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के पिता–पति मृत्तक कालूराम पुत्र मुरलीधर का नाम हजफ किया जाता है। तद्नुसार राजस्व रिकार्ड में खातेदारी वादी व प्रतिवादीगण सं. 1 ता 3 के नाम दर्ज किये जाने की स्वीकृति दी जाती है। तहसीलदार श्रीमाधोपुर को आदेश दिया जाता है कि प्रकरण में राजकीय हित एंव राजस्व अपवंचना की जॉच कर तद्नुसार राजस्व रिकार्ड में नियमानुसार दुरूस्त करने की कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करे। इसी अनुसार पर्चा डिकी जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

20/10/21

(दिलीप सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर(सीकर)
कैम्पः– कल्याणपुरा

दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर

उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर) सत्यमेव जयते

यह निर्णय आज दिनांक 20.10.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर प्रशासन गांवों के संग अभियान–2021 के तहत आयोजित शिविर कैम्प– कल्याणपुरा के मजमे–ए–आम में सुनाया गया।

20/10/21

(दिलीप सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर(सीकर)
कैम्पः– कल्याणपुरा

दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2021.10.26 17:55:20 IST
Reason: SelfAttested